बिहार सरकार

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांकः– 14-08-18

संख्याः–8 / आ0 (राज0 उ0)–2–12 / 2017 2852 / श्री फैयाज अहमद तत्का0 निरीक्षक उत्पाद, वैशाली सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–सहायक आयुक्त उत्पाद का कार्यालय, पटना से दिनांक 16.11.2017 को वैशाली जिलान्तर्गत राजापाकर थाना के बरांटी ओ0पी0 के बसौली ग्राम में जहरीली शराब पीने से 04 (चार) व्यक्तियों की संदेहास्पद मृत्यु की घटना घटित होने के कारण उनके विरूद्ध कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, प्रभावी पर्यवेक्षण का अभाव एवं बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के आलोक में छापेमारी नहीं करना आदि आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–1967 दिनांक 11.06.2018 द्वारा आरोप पत्र–प्रपत्र–'क' गठित करते हुए लिखित अभिकथन की मांग की गयी थी।

2. श्री अहमद द्वारा दिनांक 25.06.2018 को विभाग में समर्पित बचाव वयान में कहा गया है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत छापामारी में कोई कमी नहीं की गई है और न ही कर्त्तव्य के प्रति कोई लापरवाही बरती गई है। अतएव आरोप से मुक्त किया जाय।

4. वैशाली जिलान्तर्गत राजापाकर थाना के बरांटी ओ0पी0 के बसौली ग्राम में तीन व्यक्तियों की संदेहास्पद मृत्यु की घटना के संबंध में जिला पदाधिकारी, वैशाली एवं थानाध्यक्ष के समक्ष मृतकों के परिजनों द्वारा दिये गये बयान में मृत्यु का कारण बीमारी बताया गया है। असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा भी प्रथम द्रष्टतया मृतक का टी0बी0 का मरीज होना बताया गया है। तथाकथित जहरीली शराब कांड का बिक्रेता अदालत पासवान नीरा अनुज्ञप्ति धारक था और उप विकास आयुक्त के जॉच में यह निष्कर्षित है कि प्रयोग के तौर पर पहली बार अपने घर में शराब बनाने का प्रयास किया था। घटित घटना में आरोपित पदाधिकारी श्री फैयाज अहमद तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद, वैशाली का कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है। अतएव मामले को संचिकास्त किया जाता है।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अभय राज)
सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–8/आ0 (राज0 उ0)–2–12/2017 - 2852 पटना, दिनांकः– 14-08-18

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–8/आ0 (राज0 उ0)–2–12/2017 - 2852 पटना, दिनांकः– 14-08-18

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर/ राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5 एवं श्री फैयाज अहमद तत्का0 निरीक्षक उत्पाद, वैशाली सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–सहायक आयुक्त उत्पाद का कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।